Witness No…......................**01**...,for–.............**अभियोजन**.................,

Deposition taken on the ...**26.09.2023**.........,day of - witness's apparent age –..**23**...**वर्ष**

States affirmation on oath......**शपथपूर्वक**.......... my name is –........**श्रीमती उमिया साहू**......

D/**W**/S of – ....**श्री चेतन साहू**......occupation–............**गृहिणी**....

Address – ......**हाल पता ग्राम–हीरापुर, थाना व जिला बालोद छ0ग0**.......

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समय 03:00 बजे।

01. मैं आरोपीगण को पहचानती हूं। चेतन साहू मेरा पति, लक्ष्मी बाई साहू मेरी सास, अनुराधा मेरी ननंद है। दिनांक 14.12.2021 को मेरा विवाह चेतनलाल साहू के साथ ग्राम द्वारिकाडीह तह0 गुण्डरदेही, जिला बालोद में हिन्दू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ था। विवाह के दौरान दोनों पक्ष का राजीखुशी विवाह संपन्न हुआ विवाह के पश्चात मैं तत्काल अपने ससुराल द्वारिकाडीह चली गई थी। मेरे ससुराल में संयुक्त परिवार निवासरत थे जहां मैं अपनी राजीखुशी से अच्छे से रह रही थी। मेरा ससुराल में मेरी सास लक्ष्मी बाई एवं ननंद अनुराधा के साथ सामान्य वाद विवाद घरेलू कारण से छोटी–छोटी बातों में होता रहता था कि खाने में नमक कम है, खाना ठीक से नहीं बनाई है, कपड़ा ठीक से नहीं धोती हो इन्हीं सब बातों से मेरा मेरी सास और ननंद से विवाद होता है। इन सब बातों को लेकर मैं अक्सर अपनी मां अनीता साहू से फोन में यह सब बातें बताती थी मेरी मां मुझे ससुराल पक्ष के लिए भड़का देती थी। इसी दौरान मैं माह अगस्त में गर्भवती हो गई थी मेरा गर्भावस्था के दौरान गर्भपात हो गया। अपने ससुराल में मेरी सास और मेरी ननंद से सामान्य वाद–विवाद होने पर मैं अपनी मां के भड़कावे में आवेश में आकर मैंने अपनी मां को सब बातें बताई थी तो मेरी मां ने पुलिस अधीक्षक बालोद से शिकायत की थी किंतु क्या शिकायत की थी मुझे नहीं मालूम मैंने केवल वाद–विवाद के संबंध में बताया था एवं अपने मां के कहे अनुसार थाना बालोद में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जो कि प्रपी–1 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे से किसी प्रकार की कोई जप्ती नहीं की गई थी जप्ती पत्रक प्रपी–2 है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा मुझे और कोई जानकारी नहीं है।

टीप– इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी के द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर

सूचक प्रश्न पूछे जाने हेतु अनुमति चाही गई। विचार उपरांत अनुमति प्रदान की गई

02. यह कहना गलत है कि मैंने थाने में जाकर अपने पति, सास व ननंद के लिए दहेज के संबंध में एफ.आई.आर. किया था। यह कहना गलत है कि मेरा पति व मेरी सास और ननंद के द्वारा मुझे शादी के 15 दिन बाद दहेज में मोटर सायकल गैस चूल्हा, नगदी रकम नहीं लाई हो कहकर व घर का साफ सफाई खाना बनाने नहीं आता, नाटक करती हो, खेत में काम करने नहीं जाती हो कहकर प्रताड़ित करती थी। यह कहना गलत है कि मैं गर्भवती हो गई थी तो मेरे ससुराल वाले द्वारा समय पर खाना पीना नहीं देते थे जिससे मैं कमजोर हो गई थी। यह कहना गलत है कि मेरा पति, सास व ननंद द्वारा मुझे दहेज में नगदी रकम मोटर सायकल नहीं लाई हो कहकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। यह कहना गलत है कि मेरे ससुराल वाले पति, ननंद व सास के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के कारण ही मेरा गर्भपात हो गया। यह कहना गलत है कि मेरे ससुराल वालों के द्वारा ही मेरे गर्भवती रह रहे दौरान ऐसा दवा खिलाया था जिससे मेरा गर्भपात हो गया था। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। यह कहना गलत है कि मैंने पुलिस थाने में अपने पति सास व ननंद के विरूद्ध दहेज प्रताड़ना व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए रिपोर्ट लिखाया था। यह कहना गलत है कि पुलिस द्वारा मुझसे विवाह कार्ड, मेडिकल संबंधी डिस्चार्ज कार्ड, सोनोग्राफी रिपोर्ट, ओ0पी0डी0 पर्ची जप्त किया था।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्रीमती वंदना सिंह, वास्ते आरोपी //

03. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा अपनी मां अनीता साहू से घर में हो रहे मेरे पति, सास व ननंद के साथ सामान्य घरेलू वाद विवाद के बारे में अपनी मां को बताई थी किंतु मेरी मां ने पुलिस अधीक्षक को क्या शिकायत की मुझे नहीं मालूम। यह कहना सही है कि मैंने थाना बालोद में अपने पति चेतन साहू, सास लक्ष्मी साहू व ननंद अनुराधा साहू के विरूद्ध सामान्य वाद विवाद, जान से मारने की धमकी के बारे में ही शिकायत की थी। यह कहना सही है कि मैंने थाना बालोद में दहेज के संबंध में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की थी। यह कहना सही है कि मुझे पुलिस द्वारा प्रथम सूचना पत्र पढ़कर नहीं सुनाया गया था। यह कहना सही है कि पुलिस द्वारा मुझसे किसी प्रकार की कोई जप्ती नहीं की गई थी। यह कहना सही है कि पुलिस ने मुझसे कोई पुलिस कथन नहीं लिया था। वर्तमान में मेरा मेरे पति, सास व ननंद से अच्छा संबंध हो चुका है

इस कारण मैं राजीनामा पेश कर रही हूं। यह कहना सही है कि अब मैं इस प्रकरण में कार्यवाही नहीं चाहती हूं।

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 03:20 बजे।

गवाह को पढकर सुनाया गया, सही होना स्वीकार किया।

गवाह का हस्ताक्षर

मेरे निर्देशन में टंकित

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.

सही/–
(श्रीमती श्यामवती मराबी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बालोद छ.ग.